को पेश हो

25-4-18 आज दि० ... को पेश
अवसर ता. दी गई तब अपीलों
की वादना में दिनांक 22-5-18
को पेश हो

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

अजीज 22-5-18 फायली राजस्व लोक अदालत कैम्प सई सूरजपुरा में पेश हुई। अपीलार्थी (संख्या 1) कैम्प सई में उपस्थित हुये। कैम्प सई में अभोह से पुनः अपीलार्थी का मूल वाद तकसीम एवं चारदीवारी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षों के अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम सूरजपुरा स्थित ब.नं. 345, 346, 347, 606, 607, 678 लम्बाई 683, 1017, 1018 कुल किता 3 कुल रकबा 3-74 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की उभयपक्ष यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कौशल कुमार पोकरन बनाम से कसही तथा बाद हकशिल श्रीवास्तव लेख पटवारी एवं मूल वाद के संलग्नकों निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प सई सूरजपुरा के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

[illegible] 22-5-18
[illegible] कलेक्टर
दौसा